

आदेश

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री प्रेम चंद, पंच, वार्ड नं० 10, ग्राम पंचायत कठवाड़, खण्ड व जिला कैथल द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 18-07-2024 जो उपायुक्त, कैथल के सिफारिश पत्र क्रमांक 5237/पंचायत दिनांक 13.09.2024 तथा पत्र क्रमांक 7612/पंचायत दिनांक 27.12.2024 द्वारा प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
13-01-2025

दुष्मन्ता कुमार बेहेरा,
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए०-2-2025/ 1259-65

दिनांक : 14/1/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, कैथल को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 5237/पंच० दिनांक 13.09.2024 व पत्र क्रमांक 7612/पंच० दिनांक 27.12.2024 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कैथल।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत कठवाड़, खण्ड व जिला कैथल।
6. श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री प्रेम चंद, निवासी गांव कठवाड़, तहसील व जिला कैथल।
- ✓ 7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।


अधीक्षक (चुनाव) 14/01/2025

कृते: निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Mohit / Goring